परिपत्र सं० 33/2020-सीमाशुल्क

फ़ा. सं०. 609/24/2020-डी बी के

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

नयी दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई, 2020

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त/ सभी प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त / महानिदेशक,
सी बी आई सी।

महोदया/महोदय,

विषय: प्रति अदायगी की अखिल औद्योगिक दरों में दिनांक 15.07.2020 से लागू होने वाले संशोधन।

सरकार ने अधिसूचना सं० 56/2020-सीमाशुल्क(गै०टे०),दिनांक 13.07.2020 को जारी करके अखिल औद्योगिक दरों में कुछ संशोधन कर दिया है। ये संशोधन 15.07.2020 से लागू होंगे। इस अधिसूचना को www.cbic.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है और उनका अनुपालन किया जा सकता है।

2. किये गये परिवर्तन में सारांश रूप मे निम्नलिखित बातें शामिल हैं -

(क) निम्नलिखित मदों पर प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों/कैप्स में वृद्धि की गयी है:

(i) कुछ चमड़े के बने हुए जूते उत्पाद जो की अध्याय 64 में आते हैं; और

(ii) सोने के आभूषण जो कि अध्याय 71 में आते हैं।

(ख) अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले चांदी के आभूषण और वस्तुएं पर प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दर को कम कर दिया गया है।

(ग) विनाइल सल्फॉनएस्टर ड्यूटी ड्राबैक के उद्देश्य से वर्तमान मे (टैरिफ आइटम) टी. आइ. 292205 के अंतर्गत वर्गीकृत है। इसके कस्टम टैरिफ हैडिंग 2930 के अंतर्गत उचित वर्गीकरण को देखते हुए, विनाइल सल्फॉनएस्टर के लिए एक अलग प्रविष्टि टी. आइ 292205 को अंतस्थापित किया गया है। आइटम के लिए ड्यूटी ड्राबैक की दर तथा कैप राशि अपरिवर्तित रखी गई है। विनाइल सल्फॉनएस्टर की वर्तमान प्रविष्टि (टी. आइ 292205) को निरसित कर दिया गया है।

(घ) टी. आइ. 870301 ,870303 ,870305 तथा 870307 जो के विभिन्न इंजिन क्षमताओं की मैन्युअल ट्रांसमिशन मोटर कारो से सम्बंधित है, के विवरण को बदला गया है। बदला गया विवरण सम्बंधित टैरिफ आइटम्स मे ऑटोमैटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन मोटर कारो को भी सम्मिलित करता है। विवरण मे ये परिवर्तन ऑटोमैटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन मोटर कारो को भी मैन्युअल ट्रांसमिशन मोटर कारो को दी गई दर के समान प्रति अदायगी की अखिल औद्योगिक दरों का दावा करने की अनुमति प्रदान करेगा।

3. व्यापार/क्षेत्रीय कार्यालयों के मार्गदर्शन के लिए उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाएं/स्थायी आदेश जारी किए जाएँ। इस संशोधन को लागू करने में यदि कोई परेशानी आये तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाये।

भवदीय,

(गोपाल कृष्णा झा)
निदेशक (प्रतिअदायगी)
दूरभाष:23360581